उत्तराखण्ड पावर
कारपोरेशन लि०

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0

(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)

Uttarakhand Power Corporation Ltd.

(A. Govt. of Uttarakhand Undertaking)

CIN : U40109UR2001SGC025867

Email ID: hr@upcl.org, Website: www.upcl.org

संख्या 4775 –नि0(मा0सं0) / उपाकालि /

दिनांक 05/12/2022

कार्यालय ज्ञाप

उत्तराखण्ड शासन के आदेश संख्या 211/I(2)/2013-05-90/TC/2008 दिनांक 20.02.2012 के द्वारा ऊर्जा के तीनों निगमों के कार्मिकों के लिए दिनांक 01.04.2009 से 09, 14 एवं 19 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण करने पर सुनिश्चित वित्तीय स्तरोन्नयन (ए0सी0पी0) की व्यवस्था अनुमन्य किये जाने की स्वीकृति के अनुपालन में कारपोरेशन आदेश संख्या 6303–नि0(मा0सं0) / उपाकालि / समयबद्ध वेतनमान, दिनांक 15.07.2013(यथासंशोधित) के द्वारा छठे वेतनमान में कार्मिकों को 09, 14 एवं 19 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर सुनिश्चित वित्तीय स्तरोन्नयन (ए0सी0पी0) की व्यवस्था अनुमन्य की गयी।

छठे वेतनमान में दिनांक 31.12.2016 तक लागू ए0सी0पी0 की पूर्व व्यवस्था को शासनादेश संख्या 12/I(2)/2021-06 (2)-02/2015 टीसी-1 दिनांक 06.01.2022 के अनुक्रम में सातवें वेतनमान में (नॉन फंक्शनल वेतनमान की उपेक्षा करते हुये) दिनांक 01.01.2017 से यथावत अनुमन्य किया गया है।

उपाकालि की निदेशक मण्डल की दिनांक 15.11.2022 को सम्पन्न 106वीं बैठक में प्रस्तुत एजेन्डा आइटम संख्या 106.18 में निदेशक मण्डल द्वारा लिये गये निर्णय के अनुपालन में छठे वेतनमान में लागू वित्तीय स्तरोन्नयन की देयता के प्राविधानों के कारण उत्पन्न होने वाली विसंगतियों को समाप्त करने हेतु पूर्व में लागू वित्तीय स्तरोन्नयन कारपोरेशन आदेश संख्या 6303–नि0(मा0सं0) / उपाकालि / समयबद्ध वेतनमान, दिनांक 15.07.2013 के बिन्दु–2(1)(ख) में उत्तराखण्ड शासन के आदेश संख्या 589/XXXVII(7)40(IX)/2011 दिनांक 01.07.2013 के अनुक्रम में यूजेवीएन लि0 के आदेश संख्या C–25 / यूजेवीएनलि0 / 05 / अनु0–3 / उमप्र(मा0सं0) दिनांक 24.09.2022 की भांति आंशिक संशोधन करते हुये द्वितीय वित्तीय स्तरोन्नयन की स्वीकृति हेतु एतद्द्वारा निम्न संशोधित व्यवस्था की स्वीकृति प्रदान की जाती है :–

कारपोरेशन आदेश संख्या 6303–नि0(मा0सं0) / उपाकालि / समयबद्ध वेतनमान, दिनांक 15.07.2013(यथासंशोधित) में द्वितीय ए०सी०पी० की व्यवस्था	द्वितीय ए0सी0पी0 हेतु संशोधित व्यवस्था
2(I)(ख) "प्रथम वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में अनुमन्य ग्रेड वेतन में 05 वर्ष की निरन्तर सन्तोषजनक सेवा पूर्ण कर लेने पर द्वितीय वित्तीय स्तरोन्नयन देय होगा। **परन्तु** यदि सम्बन्धित कार्मिक को प्रोन्नति, प्रथम वित्तीय स्तरोन्नयन के पूर्व अथवा उसके पश्चात प्राप्त हो जाती है तो, प्रोन्नति की तिथि से 05 (पाँच) वर्ष की सेवा पूर्ण कर लेने पर ही प्रोन्नति के पद पर अनुमन्य ग्रेड वेतन से अगला ग्रेड वेतन द्वितीय स्तरोन्नयन के रूप में अनुमन्य होगा।"	2(1)*(ख) "प्रथम वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप अनुमन्य ग्रेड वेतन में 05 वर्ष की निरन्तर एवं संतोषजनक सेवा अथवा कुल 14 वर्ष की निरन्तर एवं संतोषजनक सेवा पूर्ण करने की तिथि जो भी पहले हो, से द्वितीय वित्तीय स्तरोन्नयन देय होगा।* ***परन्तु*** *यदि कार्मिक की प्रोन्नति प्रथम वित्तीय स्तरोन्नयन के पूर्व अथवा* उसके पश्चात होती है, तो प्रोन्नति की तिथि से 05 वर्ष की निरन्तर संतोषजनक सेवा अथवा 14 वर्ष की निरन्तर संतोषजनक सेवा पूर्ण करने की तिथि, जो भी पहले हो, से प्रोन्नति के पद पर अनुमन्य ग्रेड वेतन से अगला ग्रेड वेतन (नॉन फॅक्शनल वेतनमान की उपेक्षा करते हुए) द्वितीय वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में अनुमन्य होगा।"

क्रमशः..........2

कारपोरेशन आदेश संख्या 6303–नि0(मा0सं0) / उपाकालि / समयबद्ध वेतनमान, दिनांक 15.07.2013 (यथासंशोधित) की अन्य शर्तें यथावत् लागू रहेंगी।

अध्यक्ष

संख्या 4775 –नि0(मा0सं0) / उपाकालि / तद्दिनांक,

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1– निजी सचिव–अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन एवं अध्यक्ष, उपकालि, देहरादून को अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन एवं अध्यक्ष महोदया, उपाकालि के संज्ञानार्थ प्रेषित।
2– वरिष्ठ अधिशासी सचिव, प्रबन्ध निदेशक, उ0पा0का0लि0, वि0क्रा0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, देहरादून।
3– निजी सचिव, समस्त निदेशक, उ0पा0का0लि0, वि0क्रा0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, देहरादून।
4– महाप्रबन्धक(विधि) एवं कम्पनी सचिव, उ0पा0का0लि0, वि0क्रा0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, देहरादून।
5– समस्त मुख्य अभियन्ता / अधीक्षण अभियन्ता, उ0पा0का0लि0, ... ।
6– समस्त उपमहाप्रबन्धक(वित्त), उ0पा0का0लि0, वि0क्रा0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, देहरादून।
7– अधिशासी अभियन्ता(सू0प्रौ0), उ0पा0का0लि0, वि0क्रा0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, देहरादून को विभागीय वेबसाईट में अपलोड करने हेतु।
8– कट फाईल।

[अनिल कुमार]
प्रबन्ध निदेशक

"विक्टोरिया क्रास विजेता गबर सिंह ऊर्जा भवन", कांवली रोड, देहरादून–248001, दूरभाष: 91–135–2763901 फैक्स: 91–135–2769771
"Victoria Cross Vijeta Gabar Singh Urja Bhawan", Kanwali Road, Dehradun-248001. Phone: 91-135-2763901 Fax: 91-135 -2769771